न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
33/21	24.02.2021	24-3-25

उनवान

1. नरेश कुमार पुत्र महावीर
2. महेश कुमार पुत्र महावीर
3. रमेश कुमार पुत्र महावीर
4. सुरेश कुमार पुत्र महावीर
5. शीला बेवा महावीर जाति नाई नि0 राताखुर्द तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:–वादीगण

बनाम

1. बतूल पत्नि इस्लाम खां जाति मेव निवासी राताखुर्द तहसील किशनगढबास
2. मोहम्मदी पत्नि कल्लू खां जाति मेव निवासी राताखुर्द तहसील किशनगढबास
3. मौजबी पत्नि भुल्ला खां जाति मेव निवासी राताखुर्द तहसील किशनगढबास
4. भूमिधारी तहसीलदार साहब, किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–असल प्रतिवादीगण

5. नवलकिशोर
6. रामकली देवी बेवा फूलचन्द
7. अनिल कुमार
8. मुकेश
9. रवि पुत्रान फूलचन्द
10. दीपा
11. निशु
12. विजया पुत्रीयान फूलचन्द
13. गीतादेवी पत्नि राजेन्द्र
14. हितेश कुमार
15. सोनासिंह पुत्रान राजेन्द्र
16. सीमा पुत्री राजेन्द्र जाति नाई निवासी राताखुर्द तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:–तर0 प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती वो बमय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0काश्त0अधि0 1988

उपस्थितिः– वादीगण की ओर से श्री राजेश कांवटा जी वकील।
असल प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
तर0 प्रतिवादीगण की ओर से श्री विजय सिंह वकील।

निर्णय

दावा वादीगण निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

आराजी हाल खसरा संख्या 609 रकबा 1.2300हे0 वाके ग्राम बसईजगता तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 स्थित है। जो आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सं0 2076–2079 संलग्न वादपत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

विवादित आराजी खसरा नं0 609 रकबा 1.2300हे0 वाके ग्राम बसईजगता तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 छीतर पुत्र किशनलाल जाति नाई निवासी रातावुर्द तहसील किशनगढबास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, जिनकी मृत्यु के बाद इनको विरासत का इंतकाल सं0 856 उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज वो मंजूर हुआ है।

छीतर की मृत्यु के बाद उसके सभी वारिसान को 1/6–1/6 भाग में आराजी विरासत में प्राप्त हुई, उसके बाद तर0प्रति0 संख्या 5 व 6 लगायत 12 के पति/पिता फूलचन्द व तर0प्रति0सं0 13 लगा0 16 के पति/पिता राजेन्द्र ने अपने अपने 1/6,1/6,1/6 भाग यानि 1/2 भाग का बेचान जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 11.10.2020 को अलस प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को कर दिया, जो बयनामा दिनांक 11.10.2020 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 434 में पृष्ठ संख्या 74 कम संख्या 20100002008 पर पंजीबद्ध किया गया है। वास्ते मुलाहिजा प्रमाणित प्रतिलिपि बयनामा संलग्न वादपत्र है।

उक्त बयनामें के आधार पर असल प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 के हम में कुल आराजी का 1/2 भाग का इंतकाल संख्या 990 दर्ज हुआ। वास्ते मुलाहिजा नकल इंतकाल संख्या 990 संलग्न वादपत्र है।

उसके बाद मृतक छीतर की पुत्री रामदुलारी का स्वर्गवास हो गया जिसके कोई संतान नहीं होने के कारण इंतकाल संख्या 991 उसके वारिसान यानि फूलचन्द, नवलकिशोर, राजेन्द्र व चंद्रकला के हक में 1/30, 1/30, 1/30, 1/30 भाग का दर्ज हुआ तथा महावीर के वारिसान शीला, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, महेश कुमार, नरेश कुमार के हक में 1/30 भाग का इंतकाल हुआ है। वास्ते मुलाहिजा इंतकाल संख्या 991 संलग्न वादपत्र है।

मृतक रामदुलारी की विरासत दर्ज होने के बाद हम वादीगण का विवादित आराजी में 1/5 भाग, तथा चन्द्रकला का 1/5 भाग व फूलचन्द, नवल किशोर, राजेन्द्र का 1/30 भाग तथा असल प्रतिवादीगण का 1/2 भाग कब्जे काश्त खातेदारी का था।

उसके बाद फूलचन्द, नवलकिशोर, राजेन्द्र ने अपना 1/30, 1/30, 1/30 भाग वो चन्द्रकला ने अपने 1/5 भाग में से 3/4 भाग यानि तर0प्रति0 फूलचन्द, नवलकिशोर, राजेन्द्र व चंद्रकला ने कुल आराजी का 1/4 भाग का बेचान जरिये रजि0 बयनामा 22.10.2010 को असल प्रति0 सं0 1 लगा0 3 को कर दिया जो रजि0 बयनामा दिनांक 22.10.2010 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 434 में पृष्ठ संख्या 154 कम संख्या 2010002088 पर पंजीबद्ध किया गया है। वास्ते मुलाहिजा प्रमाणित प्रतिलिपि बयनामा संलग्न वादपत्र है।

उक्त बयनामें के आधार पर असल प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 के हम में कुल आराजी का 1/4 भाग का इंतकाल संख्या 993 दर्ज हुआ। वास्ते मुलाहिजा नकल इंतकाल संख्या 993 संलग्न वादपत्र है।

उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि असल प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 ने विवादित आराजी खसरा संख्या 609 रकबा 1.2300हे0 का 3/4 भाग (एक बयनामा से 1/2 भाग व दूसरे बयनामें से 1/4 भाग) खरीद किया हुआ है। जिसके इंतकाल भी 3/4 भाग के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुये, तथा सं0 2064–2067 तक की जमाबंदी में भी उनके 3/4 भाग का इन्द्राज है जमाबंदी सं0 2064–2067 संलग्न वादपत्र है।

विवादित आराजी खसरा संख्या 609 रकबा 1.2300हे0 में चन्द्रकला बेवा छीतरमल का 1/5 भाग कब्जे काश्त खातेदारी का था, चन्द्रकला ने अपने 1/5 भाग में से 3/4 भाग का बेचान किया था जिसका इन्द्राज बयनामा दि0 22.10.2010 में है कि विकेता

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

चन्द्रकला द्वारा अपने समस्त हिस्से में से 3/4 भाग का बेचान कर रही है। इस प्रकार चन्द्रकला ने अपना कुल आराजी का 3/20 भाग का बेचान किया था उसका 1/20 हिस्सा शेष रह गया था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने सम्वत् 2068–2071 की जमाबंदीयात कसिद करते वक्त, बिला किसी अधिकारी के चन्द्रकला का शेष बचा हिस्सा 1/20 भाग का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड से हजफ कर दिया तथा चन्द्रकला का संपूर्ण हक हिस्सा असल प्रति0 सं0 1 लगा0 3 के हक में दर्ज कर दिया।

असल प्रति0सं0 1 लगा0 3 विवादित आराजी के 3/4 भाग के खातेदार है जो बयनामाजात से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 ने विवादित आराजी का 3/4 भाग ही जरिये रजि0 बयनामा खरीद किया हुआ है तथा 3/4 भाग पर ही प्रतिवादीगण काबिज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही के कारण प्रति0 सं0 1 लगा0 3 को 4/5 हिस्से का काबिज काश्त खातेदार दर्ज किया हुआ है लिहाजा जो गलत अंकन प्रतिवादीगण के नाम 4/5 भाग का हो रहा है उसे दुरूस्त किया जाकर चन्द्रकला के शेष बचे हुए रकबे 1/20 भाग का हम वादीगण व तर0 प्रति0 को समान समान भाग का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाकर दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे तथा जो गलत इन्द्राज 4/5 भाग का हो रहा है उसे हजफ कर हटाया जावे तथा उसके स्थान पर प्रतिवादीगण असल 1 लगा0 3 को उनके खरीदशुदा रकबे 3/4 भाग का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जावे।

चन्द्रकला जो हम वादीगण की दादी/सास व तर0प्रति0 सं0 4 की माता तथा तर0प्रति0सं0 6 लगा0 16 की सास/दादी थी जिसकी स्वर्गवास हो चुका है जिसके हम वादीगण व तर0प्रति0 विधिक वारिसान है तथा फूलचन्द व राजेन्द्र का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके विधिक व जायज वारिसान तर0प्रति0 सं0 6 लगा0 10 है जिसके शेष बचे रकबे 1/20 को समान समान भाग में प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह है कि उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हम वादीगण को अब माह जनवारी 2021 मे हुई जिस पर हम वादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड व बयनामाजात की नकल प्राप्त की तथा असल प्रतिवादीगण से अपने खरीदशुदा 3/4 भाग का इन्द्राज कराने व शेष अधिक हिस्से का इन्द्राज दुरूस्त कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.02.2021 को हम वादीगण व तर0प्रति0 को ऐलानिया धमकि दी कि वो ना तो इन्द्राज दुरूस्त करायेगें तथा आराजी को दीगर जगह बेचान करेंगे यदि वाकई प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजहद हानि होगी जिसकी कीमत रूपयों में आंका जाना संभव नहीं है। हकूक वादीगण पर आवरण छा जावेगा जिसकी पूर्ति किसी भी कीमत में रूपयों में आंकि नही जा सकेगी। इसलिए वादीगण व असल प्रति0 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद कराने के हकदार है कि प्रतिवादीगण असल विवादित आराजी को किसी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा लिज इत्यादि द्वारा बेचान नहीं करें मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना है कि हस्ब जैल दादरसी अता फरमाई जावेः–

अ– डिक्री इजराय इश्तकरारहक बहक वादीगण व तर0 प्रति0 विरूद्ध असल प्रति0 सादिर फरमाई जाकर घोषित किया जावे कि नं0 609 रकबा 1.2300हे0 वाके ग्राम बसईजगता तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 के प्रतिवादीगण 3/4 भाग के खरीदशुदा काबिज काश्त खातेदार है जिन्हे 3/4 भाग का काबिज काश्त खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जावे तथा प्रतिवादीगण के नाम का गलत अंकन 4/5 भाग का हो रहा है उसे हजफ कर हटाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

ब– डिक्री इन्द्राज दुरूस्त इस अमर की पारित की जावे कि नं0 609 रकबा 1.2300हे0 वाके ग्राम बसईजगता तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 में मृतक चन्द्रकला का जो शेष 1/20 भाग रह रहा है जिसे राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने बिना किसी अधिकारी के संवत् 2068–2072 की जमाबंदीयात केसिद करते समय हटाया है उसे दुरूस्त किया जाकर चन्द्रकला को 1/20 भाग का काबिज खातेदार दर्ज किया जावे तथा चन्द्रकला की मृत्यु होने के कारण उसके विधिक वारिसान हम वादीगण व तर0प्रति0 को हिस्से अनुसार 1/20 भाग का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाकर दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे।

स– जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण असल को पाबंद किया जावे कि वो आराजी मुतदाविया नं0 609 रकबा 1.2300हे0 वाके ग्राम बसईजगता तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 का कोई जुज किसी भी दीगर सख्स को रहन बैय हिबा लिज इत्यादि द्वारा मुंतकिल ना करे ना ही वादीगण को जब्रन बेदखल करे, ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करे राजस्व रिकार्ड व मौका की यथावत् स्थिति कायम रखे।

द–खर्चा हर्जा मुकदमा वादीगण को असल प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

य–दीगर दादरसी जो नजदीकी अदालत मुनासिब हो बहक वादीगण बख्सी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है प्रतिवादीगण को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने बतौर साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्लू–1 नरेश पुत्र महावीर, पीडब्लू–2 राजकुमार पुत्र नवलकिशोर पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2064–2067, प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी संवत् 2068–2071, प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी संवत् 2072–2075, प्रदर्श–4 बयनामा प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 11.10.2010 प्रदर्श–5, बयनामा प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 22.10.10 प्रदर्श–6 लगा0 9, नामांतरण सं0 556,990,991,993 तथा प्रदर्श–10 नकल जमाबंदी संवत् 2076–79 पेश किये है। साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस पत्रावली नियत की गई।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि दावा वादीगण मुताबिक वाद डिक्री किया जावे।

वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्यौपान्त अवलोकन किया। आराजी खसरा सं0 609 रकबा 1.23हे0 वाके ग्राम जगताबसई के संबंध में प्रदर्श–6 नामां0 सं0 856 के अनुसार छीतरमल पुत्र किशनलाल जाति नाई साकिन राताखुर्द खातेदार की विरासत फूलचन्द, नवल किशोर, राजेन्द्र पुत्रान व चंद्रकला बेवा व रामदुलारी पुत्री छीतरमल 5/6 हिस्सा, शीला बेवा व रमेश कुमार, सुरेश कुमार, महेश कुमार, नरेश कुमार पि0 महावीर 1/6 हिस्सा नाई सा0 राताखुर्द के नाम दर्ज व मंजूर होने का अंकन है।

प्रदर्श 4 बयनामा दिनांक 11.10.2010 में फूलचन्द, नवल किशोर, राजेन्द्र पि0 छीतरमल द्वारा आराजी ख0नं0 609 रकबा 1.23हे0 मे से 3/6 हिस्सा प्रति0सं0 1 लगा0 3 को बेचान का अंकन है। जिसका नामांतरण सं0 990 प्रदर्श 7 संलग्न किया गया है। प्रदर्श 8 नामां0 सं0 991 में रामदुलारी पुत्री छीतरमल को प्राप्त 1/6 हिस्सा की रामदुलारी की फौतदगी के बाद विरासत का नामान्तरण फूलचन्द, नवलकिशोर, राजेन्द, चंद्रकला तथा महावीर के वारिसान को समभाग में दर्ज होने का अंकन है जिससे सभी को 1/30–1/30 हिस्सा समभाग में प्राप्त होना स्पष्ट है।

बयनामा दि0 22.10.2010 प्रदर्श–5में खसरा नं0 609 में से फूलचन्द, नवल किशोर, राजेन्द्र द्वारा अपना सालिम हिस्सा तथा चन्द्रकला द्वारा अपने हिस्से में से 3/4 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नं0 609 में से कुल 1/4 हिस्सा का बेचान प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के हक में करने का अंकन है। इस प्रकार बयनामा दिनांक 11.10.2010 एवं बयनामा दिनांक 22.10.2010 कुल हिस्सा 1/2 एवं 1/4 मिलकर 3/4 हिस्सा बेचान होना स्पष्ट है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पक्ष में ख0नं0 609 में से बेचा गया कुल हिस्सा 3/4 होना स्पष्ट है साथ ही महावीर के वारिसान का हिस्सा 1/5 हिस्सा तथा चंद्रकला का बयनामा दिनांक 22.10.2010 के बाद शेष बचा हिस्सा 1/20 होना स्पष्ट है।

वादपत्र में चंद्रकला की मृत्यु होना अंकित किया गया है अतः चन्द्रकला की मृत्यु के उपरांत उसका शेष हिस्सा 1/20 को शेष वारिसान वादीगण एवं तर0प्रति0 के हक में समभाग में दर्ज किया जाना उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित है।

चूंकि प्रति0 सं0 1 लगा0 3 के पक्ष में आराजी खसरा नं0 609 में से कुल विक्रय किया हुआ हिस्सा 3/4 हिस्सा होना स्पष्ट है। अतः हाल जमाबंदी में प्रति0 सं0 1 लगा0 3 के हक में दर्ज 4/5 हिस्सा गलत है जिसके स्थान पर 3/4 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है।

इस प्रकार प्रस्तुत तथ्य एवं साक्ष्य से दावा वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के पक्ष में दर्ज 4/5 हिस्से के स्थान पर 3/4 हिस्सा दर्ज करना तथा चंद्रकला के शेष हिस्से 1/20 का उसकी मृत्यु के बाद सभी शेष विधिक वारिसानों के पक्ष में समभाग में खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या हाल 609 रकबा 1.2300हे0 वाके ग्राम बसईजगता तहसील किशनगढबास के संबंध में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के दर्ज हिस्से 4/5 के स्थान पर 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हिस्सा 4/5 को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर 3/4 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा चन्द्रकला के शेष 1/20 हिस्से का समभाग में उसके विधिक उत्तराधिकारी वादीगण व तर0 प्रति0 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/20 हिस्से की विरासत समभाग में सभी शेष वारिसानों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पर्चाडिक्री मुर्तब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

दावा सं0
33/21

दायर दिनांक
24.02.2021

निर्णय दिनांक
24.3.2025

उनवान

1. नरेश कुमार पुत्र महावीर
2 महेश कुमार पुत्र महावीर
3. रमेश कुमार पुत्र महावीर
4. सुरेश कुमार पुत्र महावीर
5. शीला बेवा महावीर जाति नाई नि0 रताखुर्द तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:–वादीगण

बनाम

1. बतूल पत्नि इस्लाम खां जाति मेव निवासी रताखुर्द तहसील किशनगढबास
2. मोहम्मदी पत्नि कल्लू खां जाति मेव निवासी रताखुर्द तहसील किशनगढबास
3. मौजवी पत्नि भुल्ला खां जाति मेव निवासी रताखुर्द तहसील किशनगढबास
4. भूमिधारी तहसीलदार साहब, किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–असल प्रतिवादीगण

5. नवलकिशोर
6. रामकली देवी बेवा फूलचन्द
7. अनिल कुमार
8. मुकेश
9. रवि पुत्रान फूलचन्द
10. दीपा
11. निशु
12. विजया पुत्रीयान फूलचन्द
13. गीतादेवी पत्नि राजेन्द्र
14. हितेश कुमार
15. सोनासिंह पुत्रान राजेन्द्र
16. सीमा पुत्री राजेन्द्र जाति नाई निवासी रताखुर्द तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:–तर0 प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय इन्द्राज दुरूस्ती वो बमय हुक्मइम्तनाई
दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0काश्त0अधि0 1988

उपस्थितिः– वादीगण की ओर से श्री राजेश कांवटा जी वकील।
असल प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
तर0 प्रतिवादीगण की ओर से श्री विजय सिंह वकील।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

पर्चाडिक्री

याद यादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या हाल 609 रकबा 1.2300हे0 वाके ग्राम बसईजगता तहसील किशनगढबास के संबंध में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के दर्ज हिस्से 4/5 के स्थान पर 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हिस्सा 4/5 को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर 3/4 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा चन्द्रकला के शेष 1/20 हिस्से का सम्भाग में उसके विधिक उत्तराधिकारी वादीगण व तर0 प्रति0 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/20 हिस्से की विरासत सम्भाग में सभी शेष वारिसानों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner